मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]　　भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 जून 2010—आषाढ़ 2, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2010

क्र. एफ. 44-39-2001-बीस-2.—मध्यप्रदेश जनशिक्षा अधिनियम, 2002 (क्र. 15 सन् 2002) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जनशिक्षा नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 12 में,—

(एक) उपनियम (1) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कुछ अथवा सभी हायर सेकेण्डरी स्कूलों या हाई स्कूलों को प्रारंभिक तथा प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिये जनशिक्षा केन्द्र के रूप में पदाभिहित करेगी. जनशिक्षा केन्द्र, उसके क्षेत्र के समस्त स्कूलों के लिये गुणवत्ता वृत्त (सर्कल) के रूप में कार्य करेगा.".

(दो) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) जनशिक्षा केन्द्र के रूप में हायर सेकेण्डरी अथवा हाईस्कूल के नामनिर्देशन के आदेश इन नियमों से संलग्न प्ररूप-7 में जारी किये जाएंगे. राज्य सरकार जनशिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले स्कूलों के समूह को पुनर्क्रमांकित कर सकेगी तथा राज्य शिक्षा केन्द्र का मत, यदि अपेक्षित हो मांग सकेगी.".

(तीन) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(3) हायर सेकेण्डरी या हाईस्कूल का प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य जनशिक्षा केन्द्र का प्रमुख होगा जो जनशिक्षा प्रभारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा.".

(चार) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(4) जनशिक्षा केन्द्र, जनपद शिक्षा केन्द्र के साथ समन्वय से कार्य करेगा. जनशिक्षा केन्द्र का प्रभारी प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा हेतु कार्य करेगा तथा जिला शिक्षा केन्द्र के प्रति उत्तरदायी होगा.

2. नियम 13 में,—

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र में, केन्द्र तथा इसके स्कूलों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिये 2 जनशिक्षक होंगे. शिक्षक तथा अध्यापकों का जनशिक्षक के पद हेतु चयन किया जाएगा. जनशिक्षकों के चयन हेतु एक समिति गठित की जाएगी."

(दो) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) जनशिक्षक का चयन करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा;—

(क) जनशिक्षक, शिक्षकों अथवा अध्यापकों में से चुने जाएंगे;

(ख) डी.एड./डी.पी.एड/बीटीसी/बी.एड/बी.एड (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षित व्यक्ति ही जनशिक्षक के पद हेतु चयनित किये जाएंगे;

(ग) जनशिक्षक के पद हेतु व्यक्ति की आयु 52 वर्ष से कम होनी चाहिए;

(घ) जनशिक्षक के रूप में चयन हेतु अध्यापन कार्य का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसके द्वारा विगत 5 वर्ष के दौरान अध्यापन कराई गई कक्षाओं का परीक्षा परिणाम, स्नातक परीक्षा के अंकों का प्रतिशत, कम्प्यूटर कुशलता, प्रशिक्षण कुशलता को भी ध्यान में रखा जाएगा. व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए.".

3. प्ररूप 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"प्ररूप-7
[नियम 12 (2) देखिए]

क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

जनशिक्षा केन्द्र के नामनिर्देशन का आदेश

मध्यप्रदेश जनशिक्षा अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश जनशिक्षा नियम, 2003 के नियम 12 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, निम्नलिखित हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल को जनशिक्षा केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित करती है. जनशिक्षा केन्द्र के रूप में नामांकित हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल के नामों

के सामने अंकित किए गए प्राइमरी स्कूल तथा मिडिल स्कूल उस जन शिक्षा केन्द्र की अधिकारिता के अधीन रहेंगे.

जिला	विकासखण्ड	जनशिक्षा केन्द्र के रूप में नामनिर्दिष्ट हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल	जनशिक्षा केन्द्र की अधिकारिता के अधीन आने वाले प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			शासकीय प्राइमरी स्कूल (शासकीय मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल की प्राथमिक इकाई को सम्मिलित करते हुए).	1. . . . . 2. . . . . 3. . . . .
			शासकीय उच्च प्राइमरी स्कूल (शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल की उच्च प्राथमिक इकाई को सम्मिलित करते हुए).	1. . . . . 2. . . . . 3. . . . .
			शासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल जो शासन से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं. (उच्च प्रायमरी स्कूल, हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी स्कूल की प्राथमिक इकाई को सम्मिलित करते हुए).	1. . . . . 2. . . . . 3. . . . .
			शासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राइमरी स्कूल जो शासन से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं. (हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल की उच्च प्राथमिक इकाई को सम्मिलित करते हुए).''.	1. . . . . 2. . . . . 3. . . . .

4. यह संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा''.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज झालानी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2010

क्र. एफ-44-39-2001-बीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-44-39-2001-बीस-2, दिनांक 23 जून 2010 का अग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज झालानी, सचिव.

Bhopal, the 23rd June 2010

No. F-44-39-2001-XX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of Madhya Pradesh Jan Shisksha Adhiniyam, 2002 (No. 15 of 2002), the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh jan Shiksha Niyam, 2003, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules;—

(1) In rule 12,:—

(i) for opening para in sub-rule (1), the following para shall be substituted, namely:—

" (1) The State Government shall designated a few or all of the Higher Secondary Schools or High Schools as Jan Shiksha Kendra in every district for improving the quality of elementary and adult education. The Jan Shiksha Kendra shall work as a quality circle for all the schools of its area.".

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (2) The order of nomination of Higher Secondary school or High School as Jan Shiksha Kendra shall be issued in Form-7 appended to these rules. The State Government can rearrange the group of schools coming under the Jan Shiksha Kendra and may seek opinion of the Rajya Shiksha Kendra, if required.";

(iii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (3) The Principal or in-Charge Principal of Higher Secondary or High School shall be the Head of Jan Shiksha Kendra who shall be designated as in-Charge of Jan Shiksha Kendra.".

(iv) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (4) The Jan Shiksha Kendra shall function in co-ordination with Janpad Shiksha Kendra. The in-Charge of Jan Shiksha Kendra shall work for elementary and adult education and shall be accountable to the District Shiksha Kendra.".

2. In rule13;—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (1) Each Jan Shiksha Kendra shall have two Jan Shikshaks to act as co-ordinator between Kendra and its schools. The Teacher or Adhyapak shall be selected for the post of Jan Shikshak. A committee shall be formed to select Jan Shikshaks.".

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (2) Following point shall be considered while selecting the Janshikshaks:,—

(a) Jan Janshikshak shall be selected from amongst Teachers or Adhyapaks;

(b) Only D.Ed./D.P.Ed/BTC/B.Ed./B.Ed(Special Education) trained Persons Shall be selected for the post of Jan Shikshak.;

(c) age of persons for the Jan Shikshak should be below 52 years;

(d) a person should have minimum 5 years of teaching experience for selection as Jan Shikshak. The result of classes taught by him in last 5 years, percentage marks of graduation, computer skills, training skills, shall also be considered. Person should be medically fit"."

3. For form-7, the follwing form shall be substituted namely :—

"FORM-7"
[See rule 12(2)]

No. . . . . Date . . . .

Order of Nomination of Jan Shiksha Kendra

In exercise of the powers conferred by rule 12(2) of The Madhya Pradesh Jan Shiksha Niyam, 2003 made under the provisions of Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002 the State Government here by nominates the following High Schools or Higher Secondary Schools to perform as Jan Shiksha Kendra. The primary schools and the middle schools noted against the names of High Schools or Higher Secondary Schools nominated as Jan Shiksha Kendra shall be under the jurisdiction of that jan Shiksha Kendra.

District	Block	Middle Schools Nominated as Jan Shiksha Kendra	Name of the Primary & Middle Schools Falling under the jurisdiction of Jan Shiksha Kendra	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			Government Primary Schools (including Primary Unit of Government Middle Schools, High Schools, Higher Secondary Schools).	1. . . . . 2. . . . . 3. . . . .
			Government Upper Primary Schools (including Upper Primary Unit of Government High Schools, Higher Secondary Schools).	1. . . . . 2. . . . . 3. . . . .
			Government aided Primary Schools receiving Government Grants ((including Primary Unit of Upper Primary Schools, High Schools, Higher Secondary Schools).	1. . . . . 2. . . . . 3. . . . .
			Government aided Upper Primary Schools receiving Government Grants ((including Upper Primary Unit of Upper High Schools, Higher Secondary Schools)"."	1. . . . . 2. . . . . 3. . . . .

Signature of Concerned Authority
Seal of Authority.

4. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the official gazette.".

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ JHALANI, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010